न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी सुश्री श्वेता कोचर, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
01/2019	अपील 75 LRA	12.04.2019	09.09.2019

1. श्रीमती शान्तिदेवी पत्नी स्व. महावीरप्रसाद
2. लक्ष्मी
3. मीरा
4. शारदा
5. सुमन
6. सुधा
7. रामप्रसाद
8. विष्णु

(2 से 8) पुत्र–पुत्रियां स्व. महावीरप्रसाद

जाति ब्राह्मण निवासीगण चलकोई बणीरोतान हाल निवासीगण रामपुरा बस्ती, लालगढ नगरनिगम वार्ड नं. 58 बीकानेर तहसील व जिला चूरू (राज.)

–अपीलाण्ट–

बनाम

ग्राम पंचायत चलकोई बणीरोतान, तहसील व जिला चूरू जरिये सरपंच ग्राम पंचायत चलकोई बणीरोतान, चूरू

–रेस्पोडेण्ट–

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरूद्ध खारिजी आदेश दिनांक 05.01.2019 इन्तकाल संख्या 1009 ग्राम पंचायत चलकोई बणीरोतान

उपस्थित – 1. अधिवक्ता श्री नन्दराम राहड़ व सुरेन्द्र राहड़ अपीलाण्ट
2. अधिवक्ता श्री रमेश राहड़ रेस्पोडेण्ट

निर्णय

अपीलाण्ट्स की ओर से अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्टान ग्राम चलकोई बणीरोतान के स्थाई निवासीगण हैं तथा वर्तमान में रामपुरा मोहल्ला लालगढ बीकानेर में रिहायश करते हैं। अपीलाण्टान की कृषि भूमि व आवासीय मकान आदि चलकोई बणीरोतान में स्थित हैं। यह कि ग्राम पंचायत चलकोई बणीरोतान के सरपंच द्वारा गलत रूप से विधि विरूद्ध रूप से इकतरफा तौर पर विरासतन इन्तकाम सं. 1009 को दिनांक 05.01.19 को खारिज किया गया है ग्राम पंचायत द्वारा मनमाने रूप से एकतरफा आदेश दिनांक 05.01.19 अपास्त योग्य है तथा अपील अपीलान्टान स्वीकार योग्य है। यह कि अपीलान्टान के पूर्वज महावीरप्रसादजी की खातेदारी कब्जा व काश्त की कृषि भूमि ख. नं. 83 तादादी 1.6567 हैक्टर व ख. नं. 110 तादादी 6.1462 हैक्टेयर कुल 7.8029 हैक्टर वाके रोही चलकोई बणीरोतान तहसील चूरू की कृषि भूमि में 1/3 हिस्सा का खातेदार स्व. महावीरप्रसाद पुत्र घड़सीराम के नाम से चली आ रही है। खातेदार महावीरप्रसाद की मृत्यु पर उसके वारिसान अपीलान्टान सं. 1 ता 8 द्वारा तहसीलदार चूरू के समक्ष मृत्यु प्रमाण पत्र कुर्सीनामा आदि इन्तकाम दर्ज करने हेतु दिया था पटवारी हल्का चलकोई बणीरोतान से इन्तकाल सं. 1009 दिनांक 18.12.2018 को खोला जाकर गिरदावर हल्का द्वारा इन्तकाम सही दर्ज होने की रिपोर्ट होने के बाद पटवारी हल्का द्वारा ग्राम पंचायत चलकोई बणीरोतान में दिनांक 05.01.19 पेश किया गया ग्राम पंचायत

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

द्वारा गलत रूप से एकतरफा तौर पर इन्तकाम दिनांक 05.01.19 को निरस्त कर दिया गया जो आदेश कानूनन गलत होने के कारण खारिज योग्य है। यह कि ग्राम पंचायत चलकोई द्वारा विरासतन इन्तकाल को एकतरफा तौर पर यह कह कर खारिज किया गया है कि मौके पर कब्जा तुलसीराम को होना कथन किया गया, तुलसीराम संयुक्त खातेदार रहा है जिस तुलसीराम की मृत्यु हुये 30 वर्ष हो चुके है तथा कथित फर्जी इकरारनामा को आधार लेकर इन्तकाल खारिज किया गया है कानूनन विरासतन इन्तकाल की बाबत मात्र वारिसानो की जांच होती है न कि कब्जा बाबत ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत का आदेश दिनांक 05.01.19 विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। यह कि कानूनन रूप से विरासतन इन्काल स्वीकार होना चाहिए था स्व. महावीरप्रसाद के वारिसानो की बाबत कुर्सीनामा आदि दस्तावेजा प्रस्तुत जो ये उनको अनदेखा करते हुये ग्राम पंचायत चलकोई बणीरोतान द्वारा बिना अपीलान्टान की सुनवाई का अवसर दिये एक तरफा तौर पर इन्तकाल खारिज किये जाने का आदेश दिनांक 05.01.19 को पारित किया गया है जो आदेश निरस्त योग्य है तथा विरासतन इन्तकाल स्वीकार योग्य है।

यह कि तथाकथित इकरारनामा जो बतलाया गया है उस इकरारनामा की कानूनन कोई अहमियत नही है इकरारनामा से किसी को खातेदारी अधिकार हासिल नही हो सकते अपंजिकृत इकरारनामा जो कानूनन साक्ष्य में ग्राह्य दस्तावेज नही है तथा ना सम्पति अन्तरण अधिनियम के प्रावधानों में इकरारनामा से अधिकारा प्राप्त होते है ग्राम पंचायत को वारिसान के इन्तकाल के सम्बन्ध में मात्र मृतक खातेदार के वारिसान की बाबत जांच की जाती है परन्तु ग्राम पंचायत चलकोई बणीरोतान ने राजनैतिक रूप से गलत आधार लेते हुए इन्तकाल सं. 1009 को दिनांक 05.01.19 को निरस्त किया गया है ऐसी स्थिति में अपील स्वीकार योग्य तथा आदेश दिनांक 05.01.19 अपास्त किये जाने योग्य है। यह कि स्व. तुलसीराम जो इस वादगत कृषि भूमि का संयुक्त खातेदार जरूर रहा है तथा स्व. महावीरप्रसाद संयुक्त खातेदार कब्जा काश्त की कृषि भूमि कुल तादादी में से 1/3 हिस्सा का ख्वाातेदार रहा है अपीलान्टान जो संयुक्त खातेदार है संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि में सभी खातेदारो का संयुक्त कब्जा काश्त कानूनन साबित है ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत चलकोई बणीरोतान का आदेश दिनांक 05.01.19 मनमाना पूर्ण व गैरकानूनी होने से अपास्त योग्य है वा अपीलान्टान की अपील मंजूर किये जाने योग्य है। यह कि अपीलान्टान वर्तमान में बीकानेर शहर में वार्ड नं. 58 में रिहायश कर रहे है अपीलान्टान को सुनवाई बाबत कोई नोटिस व सूचना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं दी गई। गलत रूप से एकतरफा तौर पर दिनांक 05.01.19 को इन्तकाल खारिज आदेश दिया गया है। अपीलान्टान रामप्रसाद शर्मा द्वारा दिनांक 02.04.19 को बीकानेर से चूरू आकर पटवारी हल्का चलकोई बणीरोतान से सम्पर्क किया तो पटवारी हल्का ने बतलाया कि आप का इन्तकाल खारिज कर दिया गया है। जिस पर अपीलान्ट रामप्रसाद ने दिनांक 02.04.19 को तहसीलदार चूरू के समक्ष इन्तकाल की नकल हेतु प्रार्थना पत्र दिया जिसकी प्रमाणित प्रति इन्तकाल की दिनांक 02.04.19 को प्राप्त कर पढ़ने सर्वप्रथम ज्ञान अपीलान्ट रामप्रसाद को इन्तकाल खारिज बाबत पता चला इसके पश्चात रामप्रसाद बीकानेर जाकर पैसा वगैरा की व्यवस्था कर दिनांक 09.04.19 को वकील से सम्पर्क किया गया ऐसी स्थिति में यह अपील सर्वप्रथम इल्म इन्तकाल खारिज की जानकारी दिनांक 02.04.19 को होने से अन्दर मियाद है जिसके सम्बन्ध में धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत है। यह कि यह अपील ग्राम पंचायत चलकोई बणीरोतान के इन्तकाल सं. 1009 के आदेश दिनांक 05.01.19 को एकतरफा तौर पर पारित किया गया है यह अपील अन्दर मियाद तथा माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार की व उचित कोर्ट फीस पर अपील

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलान्टान की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत चलकोई बणीरोतान द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.01.19 जो इन्तकाल खारिज को निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्टान के नाम से विरासतन इन्तकाल स्वीकार फरमाया जावे।

प्रस्तुत अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार की होने से दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को सम्मन जारी किये गये जिस पर रेस्पोडेण्ट सरपंच ग्राम पंचायत चलकोई बणीरोतान की ओर से श्री रमेश राहड़ एडवोकेट ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश करने हेतु समय चाहा। पत्रावली वकालतनामा एवं बहस हेतु लम्बित रही। रेस्पोडेण्ट की ओर से वकालतनामा पेश किया गया। वकील अपालाण्ट ने ग्राम पंचायत चलकोई बणीरोतान का मूल कार्यवाही रजिस्टर एवं इन्तकाल संख्या 1009 को खारिज करने के समय पेश इकरारनामा आदि दस्तावेज मंगवाने का निवेदन किया जिस वकील रेस्पोडेण्ट को आपत्ति नहीं होने से तहरीर जारी की गई। आगामी तारीख पेशी पर पत्र की प्रति वकील रेस्पोडेण्ट को दी जाकर चाहे गये दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिये गये। दिनांक 06.08.19 को प्रार्थी ओमप्रकाश पुत्र तुलछीराम की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी एवं सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश किया .जिसकी प्रति वकील अपीलाण्ट को दी जाकर शामिल मिसल किया गया। वकील अपीलाण्ट ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी प्रति वकील प्रार्थी को दी जाकर शामिल मिसल किया गया एवं प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र का आदेश सुनाये जाने से पूर्व ही प्रार्थी प्रभूलाल पुत्र तुलछीराम की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी एवं सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश किया जिसकी प्रति वकील अपीलाण्ट को दी जाकर शामिल मिसल किया गया। उसी दिन वकील रेस्पोडेण्ट ने ग्राम पंचायत चलकोई बणीरोतान का मूल कार्यवाही रजिस्टर, इकरारनामा की छाया प्रति सहित अन्य दस्तावेज पेश किये जिनका छाया प्रतियों से मिलान किया जाकर मूल कार्यवाही रजिस्टर एवं अन्य दस्तावेजात वापिस इस निर्देश के साथ लौटाये गये कि न्यायालय द्वारा चाहे जाने पर पुनः पेश करें। वकील अपीलाण्ट ने प्रार्थी प्रभूलाल के प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया जिसकी प्रति वकील प्रार्थी को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील अप्रार्थी/अपीलाण्ट ने अपनी बहस कथनों के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालयों के न्यायिक दृष्टान्त RRT 2009-10 (Supp.) 190 व RRT 2014-15 (Supp.) 438 पेश किये।

प्रार्थीगण के दोनों प्रार्थना पत्रों पर बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र, पेश दस्तावेज एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे प्रार्थीगण इस अपील में किसी भी तरह से हितबद्ध पक्षकार नहीं होने एवं साधारण इकरारनामे के आधार पर हक अधिकार प्राप्त नहीं होने के आधार पर दोनों प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाकर खारिज किये गये। पत्रावली मूल बहस हेतु नियत की गई। नियत दिनांक को वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील कथनों को दोहराते हुए जाहिर किया कि अपीलाण्ट के पति व पिता महावीरप्रसाद का देहान्त हो गया है जो बीकानेर निवास करते हैं। अपीलाण्ट के विरासतन इन्तकाल हेतु रिपोर्ट पटवारी हल्का चलकोई बणीरोतान, तहसीलदार, चूरू, रिपोर्ट पटवारी हल्का चक गर्बी, तहसीलदार बीकानेर की सम्पूर्ण जाच रिपोर्ट लेने के बाद तैयार कुर्सीनामा व मृत्यु प्रमाण पत्र महावीरप्रसाद के आधार पर दर्ज विरासतन नामान्तरकरण सं. 1009 ग्राम चलकोई बणीरोतान को ग्राम पंचायत चलकोई बणीरोतान द्वारा बिना किसी उचित एवं

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

विधिक कारण के मनमाने तरीके से एकतरफा रूप से दिनांक 05.01.2019 खारिज कर दिया। ग्राम पंचायत ने तथाकथित इकरारनामा के आधार पर उक्त नामान्तरकरण को खारिज कर दिया जबकि उक्त नामान्तरकरण विरासतन दर्ज किया गया था जिसमें ग्राम पंचायत को वारिसान के सम्बन्ध में यदि कोई आपत्ति थी तो वारिसान की जांच करनी चाहिए थी और कोई विपरीत तथ्य सामने आता तो तद्नुसार कार्यवाही करनी चाहिए थी। मात्र सह खातेदार के इकरारनामा किसी अन्य के पक्ष में होने का कथन करने को आधार बनाकर उक्त नामान्तरण को खारिज करने का आदेश पारित कर दिया जो सर्वथा विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत कोई प्राईवेट पक्षकार नहीं है इसलिए अपने निर्णय से बाहर नहीं जा सकती। ग्राम पंचायत ने जिस तथाकथित इकरारनामा के आधार पर नामान्तरकरण खारिज किया है वह पंजीकृत दस्तावेज नहीं है जिसमें वादगत कृषि भूमि का कब्जा सह खातेदार को दिये जाने का कहीं भी अंकन नहीं है। इकरारनामा के पृष्ठ संख्या 2 के अनुसार आदिनांक तक कब्जा नहीं दिया गया है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत के खारिजी आदेश दिनांक 05.01.2019 को अपास्त किया जाकर वादगत कृषि भूमि में महावीरप्रसाद के स्थान पर अपीलाण्ट्स के नाम खातेदारी रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश दिया जावे।

वकील रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में जाहिर किया अपीलाधीन नामान्तरकरण के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के समक्ष दिनांक 01.01.2019 को आपत्ति दर्ज हुई। प्रार्थी ने इकरारनामा पेश किया जिसके आधार पर मौके पर कब्जा देखकर उक्त इकरारनामा के आधार पर बहुमत से उक्त नामान्तरकरण को खारिज करने का निर्णय लिया गया है। वादगत कृषि भूमि के मौके पर अपीलाण्ट्स का कोई कब्जा काश्त नहीं है क्योंकि ये लोग बीकानेर निवास करते हैं। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

वकील अपीलाण्ट ने पुनः कथन किया कि रेस्पोडेण्ट ने मौका देखने का उल्लेख किया है परन्तु ग्राम पंचायत की ओर से कोई मौका रिपोर्ट पेश नहीं की गई है इसलिए बिना किसी मौका रिपोर्ट के मौका देखने का कथन किया जाना आधारहीन है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील, पेश दस्तावेजात एवं विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट की बहस के तथ्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। अपीलार्थी द्वारा पेश अपील ग्राम चलकोई बणीरोतान के विरासतन नामान्तरकरण सं. 1009 जो ग्राम पंचायत चलकोई बणीरोतान द्वारा दिनांक 05.01.2019 को खारिज किया गया था, के विरूद्ध पेश की गई है। उक्त नामान्तरकरण में अंकित प्रविष्टियों का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि उक्त अपीलाधीन कृषि भूमि ख.नं. 83, 110 तादादी क्रमशः 1.6567, 6.1462 कुल 7.8029 हैक्टेयर रोही ग्राम चलकोई बणीरोतान में 1/3 हिस्सा के सह खातेदार महावीरप्रसाद पुत्र घड़सीराम का स्वर्गवास हो जाने पर अपीलाण्ट की ओर से पेश प्रार्थना पत्र एवं कुर्सीनामा के आधार पर अपीलाण्ट जो स्व. महावीरप्रसाद के जायज वारिसान हैं, के नाम दर्ज किया गया है। पटवारी हल्का चलकोई बणीरोतान ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 18.12.2018 में अंकित किया है कि "श्रीमान जी मुताबिक कुर्सीनामा नामा. दर्ज कर स्वीकृति हेतु पेश है।" सरपंच ग्राम पंचायत चलकोई बणीरोतान ने अपने आदेश दिनांक 05.01.2019 में अंकित किया है कि "ग्राम पंचायत बैठक दिनांक 5.1.19 में प्रस्ताव संख्या 3 के अनुसरण में रोही चलकोई बणीरोतान ख.नं. 83, ख.नं. 110 की भूमि मृतक द्वारा दिनांक 22.07.1986 को तुलछीराम पुत्र चान्दाराम को जरिये इकरारनामा द्वारा बेची होने से

उपखण्ड अधिकारी

तथा कब्जा काश्त स्व. तुलछीराम के वारिसों का होने के कारण ग्राम पंचायत बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय अनुसार विरासतन इन्तकाल खारिज किया गया–संलग्न इकरारनामा प्रति तथा विवादित जमीन की जमाबन्दी प्रति।'' अपीलाण्ट शान्तिदेवी के प्रार्थना पत्र दिनांक 02.11.18 के अवलोकन से जाहिर होता है कि महावीरप्रसाद के स्वर्गवास के बाद विरासतन इन्तकाल दर्ज करवाने हेतु तहसीलदार चूरू के समक्ष आवेदन करने पर पटवारी हल्का से जांच रिपोर्ट ली गई। उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार, बीकानेर को वारिसान की जांच हेतु पत्र लिखा गया। तहसीलदार, बीकानेर ने पटवारी हल्का चक गर्बी को जांच हेतु लिखा गया। पटवारी हल्का चक गर्बी ने अपनी जांच रिपोर्ट में स्व. महावीरप्रसाद के कुल आठ वारिस होना अंकित किया है जिसमें शान्तिदेवी पत्नी, लक्ष्मी पुत्री, मीरां पुत्री, शारदा पुत्री, सुमन पुत्री, रामप्रसाद पुत्र, सुधा पुत्री, विष्णु पुत्र इस आठ वारिसों के अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। तहसीलदार (भू–अ.) बीकानेर के पत्र दिनांक 26.11.2018 के अनुसार उक्त रिपोर्ट तहसीलदार, बीकानेर से तस्दीकशुदा है। छाया प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र महावीरप्रसाद के अवलोकन से उसकी मृत्यु दिनांक 14.05.2007 को होना प्रमाणित होता है। जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 ग्राम चलकोई बणीरोतान के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 83, 110 के 1/3 हिस्सा में महावीरप्रसाद पुत्र घड़सीराम खातेदार अंकित है जिसमें अन्य सह खातेदार का भी पृथक पृथक हिस्सा अंकित है। छाया प्रति वारिसान पत्र जो नगर निगम बीकानेर के वार्ड सं. 58 के पार्षद सोहनलाल प्रजापत द्वारा दिनांक 12.12.2014 को जारी किया गया है जिसमें महावीरप्रसाद के कुल आठ वारिसान के नाम अंकित हैं। रेस्पोडेण्ट की ओर से पेश ग्राम पंचायत के मूल कार्यवाही रजिस्टर पृष्ठ सं. 22 के प्रस्ताव संख्या 3 का भी अवलोकन किया गया जिसमें अंकित है कि ''आज की बैठक में पटवारी हल्का विक्रमसिंह ने रोही चलकोई बणीरोतान के खेत ख.नं. 83, ख.नं. 110 की कृषि भूमि का नामान्तरण संख्या 1009 विरासतन स्वीकृति हेतु पेश किया गया जिसमें विस्तार से चर्चा की गई, सह खातेदारान प्रभू, ओमप्रकाश पुत्र तुलछीराम द्वारा पूर्व में आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया हुआ है। उस पर चर्चा की गई निर्णय लिया गया कि रोही चलकोई बणीरोतान के ख.नं. 83, 110 की भूमि मृतक द्वारा दिनांक 22.07.1986 को तुलछीराम पुत्र चान्दाराम को जरिये इकरारनामा द्वारा बेची होने से तथा कब्जा काश्त स्व. तुलछीराम के वारिसों का होने के कारण ग्राम पंचायत बैठक में सर्वसम्मति निर्णय अनुसार विरासतन इन्तकाल खारिज किया गया उपरोक्त प्रस्ताव बहुमत से एकमत होकर सर्वसम्मति से पारित किया गया।'' छाया प्रति प्रार्थना पत्र प्रभू व ओमप्रकाश पुत्र तुलछीराम दिनांक 01.01.2019 के अनुसार वादगत कृषि भूमि के सहखातेदार महावीरप्रसाद व दुर्गादत पुत्रगण घड़सीराम ने 35000/– रूपयों में अपना सम्पूर्ण हिस्सा प्रार्थीगण के पिताजी तुलछीराम पुत्र चान्दाराम को विक्रय कर कब्जा सम्भला दिया था दिनांक 22.07.1986 से उक्त सम्पूर्ण भूमि पर हमारा कब्जा काश्त है। हमारे पिताजी की मृत्यु होने के कारण बैनामा नहीं हो सका। हमारे पिताजी ने 31000 रूपये चुका दिये थे शेष 4000 रूपये बैनामा पर देना था। महावीरप्राद की भी मृत्यु हो गई अब महावीरप्रसाद के वारिसों के मन में लालच आ गया है विरासतन नामांकन चढ़ाकर इस भूमि को खुर्द बुर्द करना चाहते हैं। हमारा कब्जा काश्त है। इस प्रकरण की पूर्ण सन्तुष्टि करके तथा गांव के मौजीज व्यक्तियों से पूछकर विरासतन नामान्तरण का फैसला करें। रेस्पोडेण्ट की ओर से इकरारनामा दिनांक 22.07. 1986 की छाया प्रति पेश की गई है जिसके अवलोकन से यह जाहिर है कि यह इकरारनामा पंजीकृत नहीं होकर केवल नोटेरी पब्लिक बीकानेर से प्रमाणित किया हुआ है तथा मूल इकरारनामा भी पेश नहीं किया गया है। उक्त इकरारनामा के अनुसार महावीरप्रसाद व दुर्गादत पिसरान घड़सीराम ने ख.नं. 83, 110 में से अपने हिस्से की 20 बीघा 10 विश्वा भूमि 35000

उपखण्ड अधिकारी

रूपयों में अपने चाचा तुलछीराम पुत्र चान्दाराम को बेचा जाने का इकरार किया जाना अंकित है। पेशगी में 11000 रूपये खरीददार से प्राप्त किया जाना अंकित है शेष 24000 रूपये दो किश्तों में प्राप्त करेंगे जिसमें से पहली किश्त 12000 रूपये माह अप्रेल 1987 में व दूसरी किश्त माह अप्रेल 1988 में प्राप्त करेंगे। इस प्रकार कुल रकम 35000 प्राप्त करने पर उपरोक्त भूमि की रजिस्ट्री खरीददार के हक में करवा देंगे और कब्जा भी उसी समय दे देंगे, अगर खरीददार किश्त की रकम समय पर अदा नहीं कर सकेगा तो 10 प्रतिशत ब्याज की दर से एक माह देर तक रूपया जमा देने की छूट होगी फिर भी किसी कारण खरीददार रूपया अदा नहीं कर सकेगा तो उसको मिकरान पेशगी ली हुई रकम का 5 प्रतिशत ब्याज की दर से खरीददार की रकम वापिस लौटा देंगे और सौदा निरस्त समझा जावेगा। इस भूमि की बाबत आज से रजिस्ट्री करवाते समय तक जो भी खर्च होगा वह खरीददार का होगा। मिकरान का खर्चे से कोई वास्ता नहीं होगा आदि तथ्य अंकित हैं।

उपरोक्तानुसार पत्रावली एवं दस्तावेजों में अंकित तथ्यों के अवलोकन एवं मनन के पश्चात् यह स्पष्ट होता है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण जरिए तस्दीकशुदा कुर्सीनामा (वारिस प्रमाण पत्र) व मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर दर्ज करवाया गया है। वादगत कृषि भूमि अपीलाण्टान के पिता व पति स्व. महावीरप्रसाद की 1/3 हिस्सा की खातेदारी कृषि भूमि है जिनका दिनांक 14.05.2007 को स्वर्गवास हो चुका है। अपीलाण्टान स्व. महावीरप्रसाद के जायज वारिस होने से उनके हिस्से की खातेदारी कृषि भूमि के वैध उत्तराधिकारी होने से राजस्व अभिलेख में उक्त 1/3 हिस्से में अपने नाम दर्ज करवाने के हकदार हैं। अपीलाण्टान के नाम दर्ज विरासतन नामान्तरकरण संख्या 1009 ग्राम चलकोई बणीरोतान को ग्राम पंचायत चलकोई बणीरोतान द्वारा दिनांक 05.01.2019 को प्रार्थीगण प्रभू व ओमप्रकाश पुत्रगण तुलछीराम के प्रार्थना पत्र व पेश इकरारनामा दिनांक 22.07.1986 को आधार बनाकर खारिजी आदेश पारित किया है जो खारिजी आदेश प्रथम दृष्टया ही अपास्त करने योग्य प्रतीत होता है। उक्त विरासतन नामान्तरकरण को एक साधारण इकरारनामा के आधार पर खारिज कर ग्राम पंचायत ने कानूनी त्रुटि की है। इस प्रकार के साधारण प्रकृति के इकरारनामा के आधार पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते जबकि विरासतन नामान्तरकरण में ग्राम पंचायत को केवल मृतक के वारिसान की जांच करनी चाहिए थी, यदि वारिसान के सम्बन्ध में कोई विपरीत तथ्य प्रकट होता तब ग्राम पंचायत को इस प्रकार का निर्णय पूर्ण खुलासे सहित करना चाहिए था न कि इस प्रकार के इकरारनामा के आधार पर निर्णय करना चाहिए था। ग्राम पंचायत को इकरारनामा के सम्बन्ध में सुनवाई का अधिकार भी हासिल नहीं है। इकरारनामा के अवलोकन से यह तथ्य भी स्पष्ट होता है कि उक्त इकरारनामा में वादगत कृषि भूमि का कब्जा दिये जाने का कोई अंकन नहीं है। इस प्रकार वादगत कृषि भूमि पर तुलछीराम के वारिसान का कब्जा का होने तथ्य भी सही प्रतीत नहीं होता। वैसे भी इस प्रकरण में कब्जा देखने का कोई कारण विद्यमान नहीं है क्योंकि उक्त नामान्तरकरण विरासतन प्रकृति का है। प्रस्तुत प्रकरण में ग्राम पंचायत चलकोई बणीरोतान ने अपने अधिकारों के विपरीत जाकर अपीलार्थीगण को सुनवाई का कोई अवसर दिये बिना विरासतन नामान्तरकरण सं. 1009 को खारिज करके अपने अधिकारों का दुरूपयोग किया है। वादगत कृषि भूमि अपीलार्थीगण की पैतृक विरासतन हक अधिकार की भूमि है तथा अपीलार्थीगण वादगत कृषि भूमि में 1/3 हिस्सा के खातेदार स्व. महावीरप्रसाद के जायज वारिस व उत्तराधिकारी हैं इसलिए उक्त कृषि भूमि के 1/3 हिस्सा में अपीलार्थीगण के नाम दर्ज नामान्तरकरण संख्या 1009 ग्राम चलकोई बणीरोतान में ग्राम पंचायत चलकोई

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

बणीरोतान द्वारा पारित खारिजी आदेश दिनांक 05.01.2019 को अपास्त करवा कर उक्त कृषि भूमि के 1/3 हिस्से में अपने नाम दर्ज करवाने के हकदार हैं तथा ग्राम पंचायत चलकोई बणीरोतान द्वारा पारित खारिजी आदेश दिनांक 05.01.2019 अपास्त योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलाण्ट अन्तर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट स्वीकार की जाकर ग्राम चलकोई बणीरोतान के नामान्तरकरण संख्या 1009 में ग्राम पंचायत चलकोई बणीरोतान द्वारा दिनांक 05.01.2019 को पारित खारिजी आदेश निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार, चूरू को वादगत कृषि भूमि ख.नं. 83, 110 तादादी कमशः 1.6567, 6.1462 कुल 7.8029 हैक्टेयर रोही ग्राम चलकोई बणीरोतान में अंकित महावीरप्रसाद पुत्र घड़सीराम 1/3 हिस्सा के स्थान पर अपीलार्थीगण के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

यह आदेश आज दिनांक 09.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू